

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

शैतानराम

बनाम

सुखदेवराम वगैरह

किस्म प्रकरण : राजस्व वाद

मुकदमा नं. 34/2015

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
23.2015	<p>वाद वादीगण ने जरिये अभिभाषक के अधिन धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किया हैं। वाद वादी का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनाक 23.04.2015 को पेश हो।</p> <p>4</p> <p>सहायक कलक्टर (एच. डी. ऑ.) जायल (नागौर)</p> <p>23/4/15 वकील वादी उप. प्रतिवादी नं. 1 व 2 की ओर पत्रावली तलब के लिये पेश करने हेतु वकील श्री रामनारायण चौधरी ने पत्रावली अल्टरेटेड ली प्रतिवादी नं. 3 एवं 4 की तामील की इन्तगार में दिनांक 23/4/15 को पेश की।</p> <p>राजस्थान सरकार के अधिवक्ता 23/4/15</p> <p>नीताजीय अदालत के निर्णय के अनुसार, अधिकांश के लिए प्रकरण उनके सम्बन्ध में 20/4/15</p>	<p>सुखदेवराम वगैरह नं. 1 व 2 की अल्टरेटेड ली पत्रावली</p> <p>सुखदेवराम वगैरह</p> <p>23-4-15</p>

1715
प

पक्षकार/बक्षकराण के अधिकार
पीठासीन अधिकारी की भिटिंग के भरण
अवकाश पर पाके हुए है इतिहास प्रकार
उनके कसब दिनांक 19/11/17 को
प्रस्तुत करें।

1917
प

पत्रावली समुदा बकायतनादा हु
द्वारा दिनांक 21/8/17 को पत्रावली दिनांक
21/8/17 को फल है

21/8
प

पत्रावली समुदा पत्रावली साबिक
आदेशिका की पापना के दिनांक
28/10/17 को फल है

28/10
प

पत्रावली समुदा बकिया बाकी जीर
हाजी। आवेजे लगाई गई। हाजी नहीं
आये। अतः पत्रावली को अदत करती
अदत हाजी ने आवेज किया जात
है। पत्रावली फल अतः
बकिया फल है